

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक / रथा. / 2023 / २३३१ -१


जबलपुर, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

आदेश

समस्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य किया जाता है। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावेगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर।

पृ.क्रमांक / रथा. / २३३१ -१

जबलपुर, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, वि.वि. शिक्षण विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. सुरक्षा प्रभारी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर को इस निवेदन के साथ कि विश्वविद्यालय परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड/कर्मियों को तत्संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. कुलपति जी/ कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहा. कुलसचिव (रथा.)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।